	बतक 5/7/19 को पेश हो
5.7.19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप० हैं। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा वादपत्र में अंकित कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय काउंटर जवाब

Scanned by CamScanner

अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काउंटर जवाब में वांछित अनुतोष पक्षकारों द्वारा अपने-अपने कथनों एवं अनुतोष के क्रम में प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ-पत्रादि जिरह, आदि पर सम्यक विचार किया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर सम्यक विचार किया तथा दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर मनन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन अधोलिखितानुसार है।	
	तनकी नम्बर 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। अपने अनुतोष के समर्थन में वादीगण द्वारा प्रदर्श-1 प्रस्तुत किया है। स्व प्रदर्श-1 बाबत भूमि ग्राम बसापुर) ख० नं० 23मि (रकबा 90) लक्ष्मणसिंह पुत्र शूरसिंह राजपूत के नाम पर बतौर मौरूसी खातेदार सम्वत 2040 से 2043 में दर्ज है। यही प्रविष्टी संवत 2044-2046 में दर्ज है। प्रदर्श-2, 3 व प्रदर्श-1 में समान प्रविष्टी है। प्रदर्श-4 में प्रदर्श-1 के समान ही रिकार्ड है, किन्तु प्रदर्श-4 में अंकित नोट नामान्तकरण नं० 138 से उक्त भूमि पर खातेदारी स्वत्व दिया जाना प्रमाणित है। प्रदर्श-5 से प्रमाणित है, कि हाल खसरा नम्बर 22 व 24 में सं० 2067 में ज्वार की फसल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारीख
	काश्त की गई हो। प्रदर्श-6 से प्रमाणित होता है, कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं० 22, व 24 किता 2 रकबा 1.62 हेक्टर है वादीगण अभिलिखित खातेदार है। अतः यह तन्की बहक वादीगण तय की जाती है। __तन्की नम्बर 2:-__ इस तन्की को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी को पाँती काश्त पर दी गई हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जहाँ तक प्रति० द्वारा वादीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रश्न है, तो इस बाबत प्रतिवादी का साफ इन्कार है, कि उसका वादीगण की भूमि पर कब्जा नहीं है। उसका कब्जा तो राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1458 है। जिसके परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध L.R.Act 1956 धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। अपने कथनों के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा प्रदर्श 1A से प्रदर्श 7A पेश किये थे। उक्त दस्तावेज से यह प्रमाणित है, कि उसका कब्जा राजकीय भूमि पर है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पाँती काश्त पर प्रतिवादी को दी हो ऐसा कोई प्रमाण / दस्तावेज पेश नहीं किया गया।	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी द्वारा स्वयं निरह स्वीकार किया है, कि वह पिछले 25 वर्ष से नौकरी कर रहा है तथा उसने उक्त जमीन पर खेती नहीं की। अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार यह तनकी खिलाफ वादी तय की जाती है। तनकी नं० 3:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी० पर था। तनकी नं० 5 तथा तनकी नम्बर 8 आपस में संबंधित है। अतः इनका विवेचन एक साथ किया जाना अपेक्षित होने से एक साथ तीनों तनकियों का विवेचन किया जाता है। जैसा कि तनकी नम्बर 2 में विवेचित है, कि वादी० की वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होना प्रमाणित नहीं है। वादी-1 द्वारा भी वादग्रस्त भूमि पर विगत 25 वर्षों से काश्त नहीं करना स्वीकृत तथ्य है। प्रतिवा० द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अनधिकार कब्जा करना प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादी की वादग्रस्त भूमि के कब्जे में हैसियत धारा 5(44) R.T. Act की प्रमाणित नहीं करवाई गई है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी को पौती काश्त पर देने का भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।	

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	वादी द्वारा न तो भूमि की पैमाईश करवाई जैसा सिद्ध स्वीकार किया है, और नही उसका कभी कब्जा रहा। मात्र वादी के पिता का कब्जा होना स्वीकार किया है। वादी का यह भी कथन है, कि जब से जमीन अलोट हुई मैंने कब्जा नहीं किया। अर्थात वादी को भौतिक रूप से यह भी पता नहीं कि उसके पिता की आवंटित वादग्रस्त भूमि कहाँ स्थित है।	
	प्रतिवादी का राजकीय भूमि पर कब्जा होना साबित है। वादी की भूमि पर कब्जा साबित नहीं है।	
	अतः अन्य तनकियात के अधीन यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।	
	तनकी नं० 4:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी नं. 1 से 3 के विवेचनानुसार वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी को न तो पाँती काश्त पर देना प्रमाणित है, और नही वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा ही प्रमाणित है। ऐसी सूरत में वादी को वाँछित उक्त अनुतोष दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।	
	अतः यह तनकी खिलाफ वादी तय की जाती है।	

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़

हुक्म या तारीख में जारी हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तनकी नं० 6 :- इस तनकी का सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, कि वादी० को वाद कारण पैदा नहीं हुआ है जबकि वादी द्वारा वादपत्र के पैरा नं० 7 में वाद कारण का जिक्र किया है, अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।	
	तनकी नं० 7 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रति० पर था। प्रति० द्वारा प्रदर्श A1 से प्रदर्श 7A पेश किये थे पूर्व तनकियात में विवेचन के आधार पर यह तनकी बहक प्रतिवादी तय की जाती है।	
	तनकी नं० 9 :- तनकी नं० 1 से 8 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर यह पाया जाता है, कि वादी की वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी-1 से प्राप्त करना है, जबकि प्रतिवादी-1 का कब्जा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 14 पर है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। वादी द्वारा प्रति० को कभी वादग्रस्त भूमि पाती करने पर नहीं दी। वादी० को अपनी भूमि की भौतिक स्थिति का पता नहीं था अतः वादीगण को वांछित अवस्था में	[illegible signature] उप[illegible]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका… हुक्म… में ज…
	अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है। वादी नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का मौके पर सीमांकन करवाने का मौका दिलाये जाने हेतु स्वतंत्र है। अतः तहसीलदार रामगंजमण्डी वादी को नियमानुसार मौके पर भूमि का सीमांकन करावें। वादी के बकाया अनुतोष सहित वाद खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली को निर्णित में शामिल की जावे। निर्णय आज दिनांक 05/07/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 5/7/19 उपखण्ड अधिकारी (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner